



**दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY**

No.P(R)MC-33/Re Employment

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office  
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch  
चेन्नै/Chennai - 600 003  
दि./ Dated: 19-10-2016

**आर बी ई सं/RBE No.119 / 2016**

**पी बी सी सं/ PBC No.148 / 2016**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /  
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units,  
etc.,

(As per mailing list -'A' )

**विषय/Sub:Re-engagement of retired staff on daily remuneration basis  
in exigencies of services.**

\*\*\*\*\*

A copy of Railway Board's letter No.E(NG)II/2010/RC-4/6 dated  
07-10-2016 (RBE No.119 / 2016) is enclosed for information, guidance and  
necessary action.

Railway Board's letters dated 31-08-2015 & 27-09-2012 referred there in  
have been circulated under PBC No. 126 / 2015 & PBC No. 137 / 2012  
respectively..

(V.SRINIVASAN)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम  
Senior Personnel Officer/Rules  
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी  
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU  
The Genl Secy / AISCSTREA  
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR

RBE No 119/2016

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**



\*\*\*\*

No. E(NG)II/2010/RC-4/6

New Delhi, dated 07.10.2016

The General Manager (P)  
All Indian Railways/PUs

**Sub:** Re-engagement of retired staff on daily remuneration basis in exigencies of services.

\*\*\*\*\*

Attention is invited to this Ministry's letter of even number dated 31.08.2015 (RBE No. 97/2015) on the above subject. Keeping in view the acute shortage of staff in various categories of posts and consequent hampering of the Railway's services, Ministry of Railways (Railway Board) have decided to extend the said scheme, in exigencies of services, for a further period of one year, i.e. up to 14.09.2017, in the same terms & conditions as mentioned in the Board's letter of even number dated 27.09.2012. While implementing the scheme, General Managers may keep in view the fresh recruitment made in the vacant posts.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways (Railway Board).

  
(Neeraj Kumar)  
Director Estt. (N)II  
Railway Board

आरबीई सं/१/२०१६

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)॥/२०१०/आरसी-४/६

नई दिल्ली, दिनांक ०७.१०.२०१६

महाप्रबन्धक (पी)

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : सेवा की तात्कालिक आवश्यकता होने की स्थिति में दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति।

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक ३१.०८.२०१५ के समसंख्यक पत्र (आरबीई नं. ९७/२०१५) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। विभिन्न कोटियों के पदों पर कर्मचारियों की अत्यधिक कमी और उसके परिणामस्वरूप रेलवे की सेवाओं के बाधित होने को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने उक्त योजना को बोर्ड के पत्र दिनांक २७.०९.२०१२ के समसंख्यक पत्र में यथा उल्लिखित उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर, सेवा की तात्कालिक आवश्यकता होने की स्थिति में पुनः एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् १४.०९.२०१७ तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना को लागू करते समय महाप्रबन्धक खाली पदों पर की गई नई भर्ती को ध्यान में रखें।

इसे रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(नीरज कुमार)

निदेशक स्था. (अराज)॥

रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)॥/२०१०/आरसी-४/६

नई दिल्ली, दिनांक ०७.१०.२०१६

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- (i) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. २५३, रेल भवन, नई दिल्ली (३५ अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।